न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 14/2022/आवेदन 136 एलआरएक्ट

सीताराम मिस्त्री पुत्र धन्नाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी शिश्यू (रानोली) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

– प्रार्थी

ब ना म

राज्य सरकार जरियेः तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act.

बाबत रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति–

1. श्री राजेन्द्र जाट वकील प्रार्थी की ओर सें।

नि र्ण य दिनांक– 05.07.2022

1 आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमियॉ ख.नं. 1789, 1791 ता 1796, 1824, 1825 कुल किता 9 कुल रकबा 5.3500 हैक्टेयर एवं कृषि भूमियॉ ख.नं. 2165 ता 2172, 2174 ता 2177 कुल किता 12 कुल रकबा 6.3900 हैक्टेयर में प्रार्थी का हक, हिस्सा 1/48 वाके ग्राम शिश्यू एवं कृषि भूमियॉ ख.नं. 852 ता 854, 856 ता 859, 928, 929 कुल किता 9 कुल रकबा 7.2000 हैक्टेयर में प्रार्थी का हक, हिस्सा 1/12 ग्राम रामसिंहपुरा पटवार हल्का शिश्यु तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है, प्रार्थी का हक, हिस्सा कब्जे, काश्त व खातेदारीशुदा है जो कि राजस्व रिकार्ड में छीतरमल पुत्र धन्ना के नाम से दर्ज है। वादी का सही व वास्तविक नाम सीताराम मिस्त्री है एवं उसके पिता का नाम धन्नाराम मिस्त्री है जबकि उक्त भूमियों की खातेदारी में गलत रूप से छीतरमल पुत्र धन्ना दर्ज हो रखा है जो गलत है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी उपरोक्त वर्णित भूमियों में अपने हक, हिस्से पर काबिज, काश्त है। वादी के बैंक रिकार्ड, आयकर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस एवं अन्य रिकार्ड में प्रार्थी का सही नाम ''सीताराम मिस्त्री पुत्र धन्नाराम मिस्त्री'' ही दर्ज है जो सही है। परन्तु उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों की खातेदारी में प्रार्थी का नाम गलत रूप से छीतरमल पुत्र धन्ना दर्ज है जो गलत है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है व प्रार्थी को यह रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

दुरूस्ती का आवेदन पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से इन भूमियों के सम्बंध में प्रार्थी को अब कोई न कोई राजकीय सहायता, अनुदान प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है वह भूमियों का विकास भी नहीं करवा पा रहा है। इसलिए प्रार्थी को यह रिकार्ड दुरूस्ती का आवेदन पेश कर रिकार्ड की दुरूस्ती करवाया जाना आवश्यक हुआ है। इस सम्बंध में ग्राम पंचायत शिश्यू द्वारा भी अपने कार्यालय से पहचान पत्र दिनांक 14.07.2021 को जारी कर यह तस्दीक किया जा चुका है कि उक्त सीताराम मिस्त्री पुत्र धन्नाराम मिस्त्री एवं छीतरमल पुत्र धन्ना एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड में अपने नाम को दुरूस्त करवाये जाने हेतु यह आवेदन पेश किया जाना लाजमी हुआ है। वाद कारण अरसा करीब एक माह पूर्व प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा प्रार्थी के नाम को दुरूस्त करने से इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ जो कि क्षण--प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर विवादित भूमि खसरा नम्बर 1789, 1791 ता 1796, 1824, 1825 कुल किता 9 कुल रकबा 5.3500 हैक्टेयर एवं ख.नं. 2165 ता 2172, 2174 ता 2177 कुल किता 12 कुल रकबा 6.3900 हैक्टेयर वाके ग्राम शिश्यू प0ह0 शिश्यु एवं कृषि भूमियॉ ख.नं. 852 ता 854, 856 ता 859, 928, 929 कुल किता 9 कुल रकबा 7.2000 हैक्टेयर ग्राम रामसिंहपुरा पटवार हल्का शिश्यु तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थी का नाम छींतरमल पुत्र धन्ना के स्थान पर प्रार्थी का नाम सीताराम मिस्त्री उर्फ छींतरमल पुत्र धन्नाराम मिस्त्री दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2 आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थी का नाम छींतरमल पुत्र धन्ना के स्थान पर प्रार्थी का नाम सीताराम मिस्त्री उर्फ छींतरमल पुत्र धन्नाराम मिस्त्री दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

3 बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि रिपोर्ट पटवारी शिश्यू अनुसार ग्राम शिश्यू के ख.नं. 1789, 1791, 1796, 1824, 1825 तथा ख.नं. 2165 से 2172, 2174 से 2177 में छितरमल पुत्र धन्ना तथा ग्राम रामसिहपुरा के ख.नं. 852 से 854, 856 से 859, 928, 929 में छितरमल पुत्र धन्ना दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रिपोर्ट पटवारी अनुसार पहचान के दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, फोटो पहचानपत्र, आधार कार्ड जन आधार कार्ड आदी मे वादी के पिता का सही नाम सीताराम मिस्त्री पुत्र धन्नाराम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी अनुसार ग्राम पंचायत शिश्यू द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार सीताराम उर्फ छीतरमल पुत्र धन्नाराम मिस्त्री के नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी शिश्यू के अनुसार छितरमल पुत्र धन्ना के स्थान पर सीताराम मिस्त्री उर्फ छितरमल पुत्र धन्नाराम दर्ज किये जाने कि अभिशंषा कि जाती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। **प्रार्थी का आवेदन रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 1789, 1791 ता 1796, 1824, 1825 कुल किता 9 कुल रकबा 5.3500 हैक्टेयर एवं ख.नं. 2165 ता 2172, 2174 ता 2177 कुल किता 12 कुल रकबा 6.3900 हैक्टेयर वाके ग्राम शिश्यू प0ह0 शिश्यु एवं कृषि भूमियॉ ख.नं. 852 ता 854, 856 ता 859, 928, 929 कुल किता 9 कुल रकबा 7.2000 हैक्टेयर ग्राम रामसिंहपुरा पटवार हल्का शिश्यु तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज वादी का नाम छितरमल पुत्र धन्ना के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम सीताराम मिस्त्री उर्फ छींतरमल पुत्र धन्नाराम मिस्त्री दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 05.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/7/22

(सुरेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ